

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया

प्रशासनिक आदेश संख्या— 19/2025

दिनांक: 04-07-2025

वर्तमान में महिला अधिकारी/न्यायिक मजिस्ट्रेट की जजशिप में उपलब्धता के दृष्टिगत तथा माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा जारी परिपत्र संख्या—CL.NO-24/Admin-G-II, Dated 27-08-2013 में दिये गये इस निर्देश के दृष्टिगत कि यथासंभव महिला साक्षी अथवा पीड़ित महिला का बयान अन्तर्गत धारा—183 बी.एन.एस.एस महिला न्यायिक अधिकारी/ मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किया जायेगा, को दृष्टिगत रखते हुए, मा0सं0 की धारा—376(1)(2), 376(3), 376क ख, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376 घ क, 376 घ ख, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ तथा बी.एन.एस. की नवीन धारा—64, 65(1), 65(2), 66, 67, 68, 69, 70(1), 70(2), 74, 75, 76, 77, 78 एवं पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में महिला साक्षी/पीड़ित महिला का बयान अन्तर्गत धारा—183 बी.एन.एस.एस अंकित करने हेतु इस सम्बन्ध में पूर्व में पारित समस्त प्रशासनिक आदेशों को अतिक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था की जाती है:—

क्र0सं0	थाना	मजिस्ट्रेटगण का नाम
01	कोतवाली, गौरीबाजार, रामपुर कारखाना, बनकटा, जी.आर.पी.देवरिया, बरहज	श्रीमती प्रज्ञा सिंह—III अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या—19, देवरिया।
02	श्रीरामपुर, सुरौली, खामपार, बघौचघाट, तरकुलवा, जी0आर0 पी0भटनी, सलेमुपर	सुश्री शैलजा मिश्रा, सिविल जज,सी0डि0/एफ.टी.सी.प्रथम/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया।
03	भाटपार रानी, मदनपुर, बरियारपुर, एकौना, लार, भटनी	सुश्री स्नेहा सिंह—II अपर सिविल जज(जू.डि.)/देवरिया/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0—20 देवरिया।
04	महुआडीह, खुखुन्दू, भलुअनी, मईल, रुद्रपुर, महिला थाना	श्रीमती इन्दू नागर, अपर सिविल जज(जू.डि.)/देवरिया/न्यायिक मजिस्ट्रेट,कक्ष सं0—26 देवरिया।

- क्र0सं0—1 में वर्णित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित होने की दशा में उनके लिंक मजिस्ट्रेट के तौर पर क्र0सं0—2 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जायेगा।
- क्र0सं0—2 में वर्णित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित होने की दशा में उनके लिंक मजिस्ट्रेटके तौर पर क्र0सं0—3 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जायेगा।
- क्र0सं0—3 में वर्णित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित होने की दशा में उनके लिंक मजिस्ट्रेट के तौर पर क्र0सं0—4 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जायेगा।
- क्र0सं0—4 में वर्णित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर/अनुपस्थित होने की दशा में उनके लिंक मजिस्ट्रेट के तौर पर क्र0सं0—1 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जायेगा।

- उपरोक्त समस्त के एक साथ अवकाश पर होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अन्तर्गत धारा-183 बी.एन.एस.एस अंकित करने हेतु आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा।
- उक्त वर्णित धाराओं के अतिरिक्त अन्य धारा में धारा-183 बी.एन.एस.एस का बयान अंकित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित किया जायेगा। पुरुष मजिस्ट्रेट के पास महिला पीडिता का बयान भेजे जाने की दशा में वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशानुसार किसी महिला कर्मचारी की उपस्थिति में ही उक्त बयान को नियमानुसार अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सन्दर्भित किये जाने वाले मामले में अधोहस्ताक्षरी द्वारा ही मजिस्ट्रेट को बयान अन्तर्गत धारा-183 बी.एन.एस.एस अंकित करने हेतु नामित किया जायेगा, जो नामित किये जाने पर नियमानुसार बयान अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
- पुरुष साक्षी/पीडित का बयान अन्तर्गत धारा-183 बी.एन.एस.एस सम्बन्धित न्यायालय, जिस न्यायालय में उस थाने का क्षेत्राधिकार होगा, उसके लिंक मजिस्ट्रेट, के द्वारा बयान अंकित किया जायेगा।

नोट-यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

(मंजू कुमारी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवरिया।
04-07-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये:-

- 1- कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-17, देवरिया।
- 2- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0-19, देवरिया
- 3- न्यायालय सिविल जज(सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफ.टी.सी. प्रथम, देवरिया, देवरिया।
- 4- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-20, देवरिया
- 5- न्यायालय सिविल जज(जू.डि.) कक्ष सं0-26, देवरिया
- 6- न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी.- I, देवरिया
- 7- न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी.- II, (CAW) देवरिया
- 8- गार्ड फाईल में रखा जाये।
- 9- कम्प्यूटर अनुभाग में जनपद न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवरिया।
04-07-2025